भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तकनीकी पर्यवेक्षक (सीएसएसडी) पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तकनीकी पर्यवेक्षक (सीएसएसडी) के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल कर सकते हैं।-

ग. सामंत
(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख : 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी पर्यवेक्षक (सीएसएसडी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तकनीकी पर्यवेक्षक (सीएसएसडी) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण एवं वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी पर्यवेक्षक (केन्द्रीय विसंक्रमण सेवा विभाग)	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	मिश्रित पद्धति द्वारा {प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति}	मिश्रित पद्धति {प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति}: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 या वेतनमान या समतुल्य पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वद्यिालय से विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और न्यूनतम 20 बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में केन्द्रीय विसंक्रमण तकनीक में 5 वर्षों का कार्यानुभव; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या अस्पताल से केन्द्रीय विसंक्रमण सेवाओं में न्यूनतम नौ महीने के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा और न्यूनतम 20 बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में केन्द्रीय विसंक्रमण तकनीक में चार वर्षों कार्यानुभव।

			टिप्पण 1: बाहरी अभ्यर्थियों के साथ वेतन मेट्रिक्स के स्तर 5 या वेतनमान में विभागीय वरिष्ठ तकनीशियन (केन्द्रीय विसंक्रमण सेवा विभाग) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली है, पर भी विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन होता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। टिप्पण-2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। {प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।}

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[ए.12018/02/2019-एमएच-II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार